सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांकःएफ.4 (7)पराविं/विधि/स्थायी समिति गठन/2015/ 719 जयपुर, दिनांक 20.11.2015

जिला कलक्टर,
समस्त ।

विषयः— पंचायती राज संस्थाओं के शेष रहे स्थायी समितियों के चुनाव सम्पन्न करवाये जाने बाबत् ।
प्रसंगः— विभागीय पत्रांक 429 दिनांक 16.06.2015 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा दिनांक 29, 30 जून एवं 01 जुलाई, 2015 को पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों के चुनाव हेतु बैठकों का आयोजन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कुछ ज़िलों में किन्हीं कारणोंवश इन निर्धारित की गई तिथियों में बैठकों का आयोजन नहीं हो पाया है।

अतः उपरोक्तानुसार जिन पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों मे बैठकें आयोजित नही हो पाईं, वहां के लिए बैठक आयोजन हेतु तिथियों का निर्धारण करने हेतु **आपको अधिकृत किया जाकर अनुरोध है कि दिनांक 20 दिसम्बर, 2015 तक अपने ज़िले की समस्त पंचायती राज संस्थाओं में स्थायी समितियों के चुनाव** राजस्थान पंचायती राज (स्थायी समिति का गठन) नियम,2000 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

जिन ज़िलों में प्रासंगिक पत्र की पालना में स्थायी समितियों का गठन किया जा चुका है, कृपया इससे संबंधित सूचना 3 दिवस की अवधि में भिजवाया जाना भी सुनिश्चित करावें ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—
1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
5. जिला प्रमुख, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
6. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
7. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)